पत्रांक– 12/प्रशि–01/2016................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/प्राचार्या,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET),
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC),
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (BITE)।

पटना, दिनांक ..../.........../...........

विषयः–सत्र 2020–22 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया को निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि 60 प्रशिक्षण संस्थानों को बेवसाईट बैंक से लिंक कर 20 दिसम्बर, 2020 से चालू करना था। लगभग 48 संस्थान सफल हुए, कुछ संस्थानों ने इन कार्य को 22 दिसम्बर, 2020 को पूरा किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचार्य स्वयं कार्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे डाटा इन्ट्री ऑपरेटर या किसी अन्य के जिम्मे काम देकर निश्चिंत हो गए। सभी प्राचार्य को निम्नांकित प्रक्रिया का पालन ठीक से करना होगा तभी वे नामांकन कार्य समय पर सम्पन्न कर पायेंगे।

(1) बेवसाईट बनाने वाले के साथ नियमानुसार/निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में एग्रीमेन्ट साईन करें जिससे सभी डाटा आपको वे समय पर उपलब्ध करायेंगे। डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर या पूर्ण स्वामित्व नहीं देने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(2) प्राचार्य स्वयं एवं उनके द्वारा निर्धारित एक नामांकन प्रभारी व्याख्याता प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल बेवसाईट को चेक करेंगे, वे आस्वस्त होगे कि यह बैंक एकाउंट लिंक के साथ चालू है तथा प्रतिदिन नामांकन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। कुछ संस्थानों के वेवसाईट पर प्राइवेट प्रचार आते रहते हैं। उसे बन्द कराएँ।

(3) यदि किसी संस्थान में अपेक्षित संख्या में नामांकन अभ्यावेदन नहीं आ रहे हैं या कम संख्या में आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रचार–प्रसार का भी कार्य किया जाए ताकि संस्थान में इनटेक कैपेसिटी के अनुसार शत् प्रतिशत नामांकन हो जाए।

(4) विगत वर्ष की अनुभव में अधिकांश संस्थान में नियम का पालन करते हुए काम हुआ है। लेकिन एक संस्थान में शिकायत मिली थी कि स्थानीय साइबर कैफे से मिली–भगत कर फर्जी मार्ग शीट के आधार पर नामांकन का कार्य हुआ। परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र–छात्राओं के नामांकन भी रद्द हुए और प्राचार्य भी निलंबित हुए। इसलिए नामांकन की प्रक्रिया नियम के अनुसार हो, आरक्षण नियम का पालन हो यह आवश्यक है। प्रक्रिया को समझने में कोई कठिनाई हो तो विगत वर्ष में नामांकन के अनुभव रखने वाले व्याख्याताओं/प्राचार्यो से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(5) नामांकन के संबंध में सभी निर्णय प्राचार्य के स्तर पर किया जाना है। कई बार मार्गदर्शन का पत्र लिखकर निर्णय जान बूझकर नहीं लिया जाता है। यह व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देश स्पष्ट हैं फिर भी यदि कोई कठिनाई हो तो स्वयं मिलकर या फोन में वार्ताकर उसका समाधान करें। निर्धारित तिथि से विलम्ब होने पर प्राचार्य जिम्मेवार माने जायेंगे।

(6) नामांकन की राशि जिस बैंक खाते में प्राप्त होना है उसका मिलान (Reconcitiation) करते रहें ताकि प्राप्त राशि की जानकारी होती रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो।

(7) पूर्व निर्गत पत्र में नामांकन के लिए कैलेण्डर जारी किया गया है। सभी प्राचार्य नामांकन एवं नामांकन प्रभारी कैलेण्डर अपने पास रखें और समय से कैलेण्डर के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए मुस्तैद रहें।

(8) उम्र की गणना 01 जनवरी, 2020 को आधार मानकर होगी क्योंकि यह नामांकन सत्र 2020–22 के लिए होगा। चूँकि आवेदन सत्र 2020–2022 में नामांकन के लिए लिया जा रहा है, इसलिए 21 जनवरी, 2020 से पूर्व निर्धारित अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएँगे।

आपसबों से अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराएँ एवं संस्था की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी व्याख्याता कर्मी मिलकर समन्वय एवं सहयोग से काम करें।

विश्वासभाजन

ह०/–

(डॉ० विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016–317 पटना, दिनांक–24/12/2020

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/12/20

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।